अतिआवश्यक

सं0: पीएलजी(एफ) आरडीपी/5-1/2010-मा.वि.स.
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

सलाहकार (योजना)
हि0प्र0, शिमला-2.

प्रेषित

समस्त उपायुक्त
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक : शिमला-2, 19 जून,2017

विषयः योजना विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की संवीक्षा पर आधारित समिति का 22वाँ प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (2016-17) पर अग्रिम कार्रवाई बारे।

महोदय,

कृपया विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के कार्यान्यवयन के समेकित दिशा-निर्देश-2016 क्रम संख्या 3.11 का अवलोकन करें, जिसके अनुसार इस योजना के अन्तर्गत आबंटित धनराशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में होना चाहिए यदि किन्ही कारणों से जिला प्रशासन उसी वित्तीय वर्ष में इस धनराशि को व्यय करने में असमर्थ रहता है तो बकाया धनराशि को सरकारी कोष में जमा करना होगा।

2. उपरोक्त विषय पर माननीय मानव विकास समिति की सिफारिश पर सरकार ने यह निर्णय लिया है कि **विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत अव्ययित राशि को सरकारी कोष में जमा करने से पूर्व संबंधित विधायक के साथ विचार विमर्श करके स्वीकृत राशि को विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित की जाने वाली अन्य उपयुक्त विकास योजना में उपयोग किया जाये।**

अतः आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त निर्णय की अनुपालना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

सलाहकार (योजना)
हि0प्र0, शिमला-2.

पृ0संख्याः यथोपरि, दिनांक : शिमला-2, 19 जून, 2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः-

1 जिला योजना अधिकारी, ... जिला.................हि0प्र0।

सलाहकार (योजना)
हि0प्र0, शिमला-2.